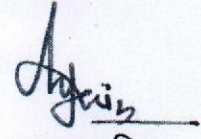


जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

// भर्ती विज्ञापन //

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय खुरई तथा उद्यानिकी महाविद्यालय रेहली एवं छिन्दवाड़ा में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र, शैक्षणिक अर्हताएं, नियम व शर्तें एवं अन्य आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय वैबसाइट www.jnkvv.org पर उपलब्ध हैं।

IPRO/Reg./2025/80


कुलसचिव

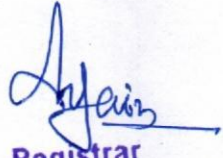
ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

पद का नाम:- सहायक प्राध्यापक

वेतनमान - रु. 15600-39100/- + एजीपी 6000/- (छटवे पुनरीक्षित वेतनमान) (57700/-) लेवल - 10 (सांतवे वेतनमान अंतर्गत)

S.No.	Discipline	College of Agriculture, Khurai	College of Horticulture, Chhindwara	College of Horticulture, Rehli	Total	Category		
						UR	OBC	ST
1.	Biochemistry	01	01	01	03	01	01	01
2.	Microbiology	00	01	01	02	01	01	00
3.	Water Technology	00	01	01	02	01	01	00
4.	Environmental Science	00	01	01	02	01	01	00


Registrar
J.N. Krishi Vishwavidyalaya
Jabalpur (M.P.)

सहायक प्राध्यापक के विज्ञापित पदों हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1) अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग की नियुक्तियों में आरक्षण के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में दायरयाचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

2) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:— “ किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईस) होगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के आरक्षित पद उपयुक्त महिला आवेदक के आभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष आवेदक के चयन से भरे जावेंगे।

3) सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती के प्रक्रम मे भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 06 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:—

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिस्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु उक्त आरक्षण निशक्त: या शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किये गये पदों के लिए ही दिया जावेगा।

शारीरिक रुप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों मे निःशक्ता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा।

4) संविदा कर्मियों हेतु नियम:—

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं, संविदा

अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।

4.1 विज्ञापित पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरान्त पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

4.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे:-

4.3 सीधी भर्ती का पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्षों तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा जो यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

4.4 सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है उन्हें पूर्ण करता हो।

4.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा अवधि 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।

4.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया है तो उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई है तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

4.7 नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अंतिम परिणाम आने से पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाकर तदसमय में प्रभावी आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

5) यात्रा भत्ता

5.1) ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यात्रा व्ययों के हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

5.2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम चार/दिनांक 29 जून 2019 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने वाले परिक्षार्थियों को यात्रा भत्ता (विशेषतः आरक्षित श्रेणी) का भुगतान केवल ई भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में अपने बैंक खाते संबंधित विवरण आवश्यक रूप से साथ में लेकर आवें।

6)निरर्हता मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता

6.1) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6.2) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा के या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

6.3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसको पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

6.4) आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।

6.5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध -दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

7.) एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

8) **रद्द किया जाना:-** ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं है अथवा जिनके साथ आवेदन शुल्क संलग्न नहीं पाए गए, रद्द कर दिये जावेंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

9) आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर) के आवेदकों के लिए - 1000/-, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्तजन अभ्यर्थियों (केवल

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदक) हेतु 500/- परीक्षा शुल्क मात्र कुलसचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के नामे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।

10) आयु सीमा

सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. -सी/ 3-8/2016/1/3 दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार आयुसीमा 21 से 40 वर्ष रहेगी।

11) आयु संगणना तिथि :- दिनांक 01/10/2025.

12) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

विश्वविद्यालय अभ्यर्थी की मात्र वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क वापसी के दायित्वाधीन नहीं होगा।

13) जाति के सत्यापन हेतु:- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'जाति प्रमाण पत्र' जिसमें जाति एवं संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

14) दिव्यांगता प्रमाण पत्र:- जिला चिकित्सा मण्डल अथवा उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें जिसमें 40 प्रतिशत अथवा अधिक दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो।

15) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु समस्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन सभी समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किया गया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

16.) शासकीय सेवक होने की स्थिति में प्रमाण पत्र:- यह प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

17) विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन हेतु स्कोर कार्ड में प्राप्तांकों की प्रावीणता सूची आधार पर प्रत्येक संवर्गों में विज्ञापित पदों में 01 अनुपात 10 अभ्यर्थियों तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

18) विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा। किसी भी प्रकार के डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय की उत्तरदायित्वता नहीं होगी।

19) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा में छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई भी छूट तथा आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

20) विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी।

21) समस्त नियुक्तियां नवीन अंशदान पेंशन योजना के तहत की जावेगी।।

अन्य छूट:-

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1995 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82 दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्षों की छूट होगी जो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के अध्याधीन होगी।

4) उपरोक्त बिन्दु 1,2,3 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का अधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट मिलेगी।

5) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

6) उपरोक्त दिशानिर्देशों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

7) जिन आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु सीमा तथा आवेदन शुल्क में छूट की पात्रता नहीं होगी तथा उन्हें अनारक्षित

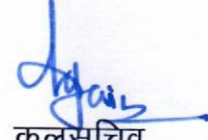
पद/पदों के संदर्भ में विचारित किया जावेगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करें।

8) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.-सी/ 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाएं (आरक्षित/ अनारक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।

परीवीक्षा:- समस्त पदों हेतु दो वर्ष की परीवीक्षावधि निर्धारित होगी।

अधिवार्षिकी आयु:- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन रहेगी।

आवेदन पत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि :- दिनांक 08/12/2025 को कार्यालयीन समय (अपरान्ह 06:00 बजे तक)


कुलसचिव

ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

Eligibility for the Post of Assistant Professor

Essential qualification

- (i) Candidates must have qualified UG & PG Degree from a recognized university.
- (ii) Bachelors degree in concerned subject with at least 6.5 OCGA out of 10.00-point scale or equivalent (Trimester/ Semester System or at least 55% marks (Traditional System).
- (iii) Master's Degree in concern/relevant/ allied subject with the minimum requirements of a good academic record with at least 6.5 OCGA out of 10.00-point scale or equivalent (Trimester/ Semester System or at least 55% marks (Traditional System) or an equivalent degree from an accredited foreign university/ Indian university.
- (iv) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ICAR or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/ SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET:

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/ SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: -

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode;
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/ her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/ funded/ supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

- (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance indicator (API) based performance Appraisal system (PBAS) developed by JNKVV in the light of UGC regulations.

Desirable

- Familiarity with latest advances in Agricultural developments.
- Knowledge of computer application.

Note:

- a) The requirement regarding minimum percentage of marks relaxed up to 5% for reserve categories candidate as per rules of Govt. of M.P.
- b) The minimum age must have been 21 years and maximum age limit is 40 years as per मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.-सी/ 3-8/2016/1/3 दिनांक 4 जुलाई 2019
- c) Age relaxation will be applicable as per M P. Govt norms.
- d) No maximum age limit for employee of JNKVV, Jabalpur/Agricultural/Veterinary Universities/Department of Farmer welfare and Agricultural Development of M.P.
- e) A candidate shall not be eligible for any service appointment if candidate have more than two alive children and if the third child was born on or after 1st January 2001 as per M.P Govt. two child norms 2001.

7

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR (M.P.)

(Details of application fee)	
Bank Draft No.	
Amount	
Date	

Affix recent
passport size
photograph

APPLICATION FORM

Name of the post :
(with discipline)

Scale of pay Rs. :

Advertisement No :

Category applied for : (Unreserved/ /SC/ ST/ OBC/ Handicap/ Woman)

1. Name in full : Dr./Mr./Mrs./Miss
(in block letters)

Father's / Husband's Name:

2. Address :

(i) Present address (for correspondence):

Pin-code:

(ii) Permanent home address:

Pin-code:

(iii) Telephone :, Mobile :
e-mail: Fax No. :

(iv) Are you a bonafide resident of M.P. (if yes, give full address and attach proof?)
.....

3. Date of birth Figures : Age:

In words: (on last date for application)
(According to Matriculation Certificate)

4. Nationality

5. Place of birth (with name of District and State):

6. (a) Mother tongue :

(b) Other language(s) which the applicant can speak read and write fluently:
.....

7. Whether belongs to SC/ ST/ OBC: **No**.....
(In support, please enclose a certificate from authorized Issuing Officer)

8. School from which the applicant passed the High School or Higher Secondary or an
Equivalent examination and Colleges at which educated:

S.No.	Name of School and College	Year of joining	Year of leaving

9. Examinations passed: (Please enclose copies of certificate/degree & mark - sheet/transcript etc. of each of the examinations.)

Examination*	Name of the degree/ diploma	Name of the University or other examining body	Percentage of marks/ OCGA obtained	Division obtained	Year of passing	Subject(s) (Major)	Enclosure Number	
							Certificate / degree	Mark sheet / transcript
(i) High School								
(ii) Higher Secondary/ Intermediate/ Pre- University								
(iii) Bachelor's Degree								
(iv) Master's Degree								
(v) Doctor's degree								
(vi) Any other examination(s)								
(a) Degree/Diploma/Certifi cate (with exact duration)								
(b) Any qualifying examination viz, NET/SLET etc. NCC/NSS (C Certificate)								

* Only completed and awarded qualifications should be mentioned. Incomplete or result awaited qualifications should not be mentioned or clearly indicated

10. (a) Scholarships, Study Fellowships for Masters Degree, Ph.D. Degree, Post -Doctoral (Awarding Agency viz., ICAR/CSIR/UGC/others, duration with dates, Amount per month/ per annum)

- (b) Honours / Awards, Recognitions etc. with details (conferring agency, year, title of honour/award/recognition, status viz., Institutional, State, National, International)

11. Any position or authority held or distinctions gained in extra - curricular activities, including games, sports, NCC, NSS, Hostel Warden ship, DDO ship, I/c Examination & Academic Cell, I/c Technical Cell, I/c Library, I/c Farm, I/c Ambulatory Services etc. (Details to be given including dates and duration where required).

12. (a) Experience: - Teaching, Research, Extension, Field Work or any other, (Please describe each of the experience separately and in detail with its duration and dates).

- (b) Trainings (Orientation, Refresher, Summer/Winter School, others) obtained with dates and durations in India and abroad separately.

- (c) Seminars, workshops, symposium attended and papers presented with dates and duration in India and abroad separately:

13. Publications, if any, with their titles, please list your Publications in bibliographic form they should be classified into Scientific papers, Extension publications (Booklets/Bulletins), Books (Authored/Edited), Manuals, Book Chapters, Popular articles. Etc. (Reprints of papers be enclosed with the application) :

14. Positions held in chronological orders:

Name of Post	Organization	Pay scale, Present basic, Present total emoluments	Period		Total Duration Y. M. D	Reason for leaving
			From	To		
			D. M. Y.	D. M. Y.		

15. Position held at remote area / non- collegiate stations:

Name of Post	Organization	Pay scale, Present basic, Present total emoluments	Period		Total Duration Y. M. D	Reason for leaving
			From	To		
			D. M. Y.	D. M. Y.		

16. External Projects got sanctioned and handled as PI/Co -PI:

Name of External Project got sanctioned, sanction No.	Sanctioning agency	Total outlay	Period		Total Duration Y. M. D	Remarks
			From	To		
			D. M. Y.	D. M. Y.		

17. Membership of Societies/Bodies, if any

.....
.....

18. Name of not less than two persons copies of whose testimonials are to be attached.
(Originals to be produced at the time of interview)

(1)
(2)
(3)

19. Name and address of two persons to whom reference may be made

(1)
(2)

20. (i) Have you ever been arrested/prosecuted/convicted by a criminal court ?; if yes, give the circumstances and sentence awarded.

.....
.....

(ii) Have you ever been subjected to any departmental enquiry ?; if yes, give details

.....
.....

(iii) Have you ever been debarred from appearing at any examination / selection conducted by the union public service commission / state public service commission / government / university/ board of any other educational institute/authorities?; if yes, give particulars

.....
.....

21. Additional Remarks, if any

.....
.....

22. Minimum pay acceptable for the post applied for..... **As per VV rule**.....

.....
.....

Note: - All the statements should be supported by proof enclosure wherever necessary. If the space is insufficient additional sheet may be used wherever required.

DECLARATION

I declare that the entries made in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

Signature of the candidate

REMARKS OF THE PRESENT EMPLOYER

(In the case of those who are already in service)

The applicant Shri/Ku./Smt..... is holding a permanent/ temporary post ofin the scale of pay from and his/ her present basic pay is Rs. P.M. His/ Her application is forwarded and he/ she will be relieved in case he/ she is selected for the post applied for.

Date

Place :

Signature
Designation of Officer
(with official seal)

SUMMARY SHEET

(To be prepared and submitted in QUADRUPLICATE (in 4 copies) in the format given below.
No enclosures are to be attached to this sheet)

1. Name of the applicant :
2. Date of Birth :
3. Whether belonging to SC/ST/ OBC?:
If yes, mention name of the Caste/.....
Tribe/ Backward Class
4. Examination Passed Examination :

Examination	Name of the degree/ diploma	Name of the University or other examining body	Percentage of marks/ OCGA obtained	Division	Year of passing	Subject(s) (Major)
High School						
Higher Secondary/ Intermediate/ Pre-University						
Bachelor's Degree						
Master's Degree						
Doctor's degree						
Any other examination(s)						

5. Position held, so far :

Name of Post	Organization and Address	Duration of appointment with dates	
		From	To
		D. M. Y.	D. M. Y.

6. Number of publications :

	Published	Accepted
i. Scientific papers		
No of papers <4 NAAS ratings,		
No. of papers ≥4 NAAS ratings,		
No. of papers without NAAS ratings		
ii. Extension publication (booklets/bulletins)		
iii. Books: No. of authored books		
No. of edited books		
iv. Manuals		
v. Book chapters		
iv. Popular articles		

Date :

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

ADDITIONAL INFORMATION

1. Name of the applicant :
2. Name of the post applied for specifying the discipline. :
3. Item No. :
4. Category applied for : (Unreserved/ /SC/ ST/ OBC/ Handicap/ Woman) :
5. (a) Are you a bonafide resident of Madhya Pradesh :
(b) If yes state the place of residence :
(i) Village/Town/City :
(ii) Tahsil :
(iii) District :
(Please furnish a certificate from the officer/ authority and on the form as prescribed by the Govt. of Madhya Pradesh)
6. (a) Are you a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, which have been included in the lists of SC/ST/OBCs notified for Madhya Pradesh? :
(b) If yes, please give the name of the caste or tribe or backward class and in support thereof, please furnish a certificate from the Officer / Authority and on the form as prescribed by the Govt. of Madhya Pradesh. :
7. (a) Father's name :
(b) Address :
(c) Occupation :
(If expired, state his last address and occupation before death) :
8. Title of Thesis :
(a) Master's degree :
(b) Doctorate degree :

Place :

Date :

Signature of the candidate

A tentative list of enclosures to facilitate the preparation of statement of annexure which may be still exhaustive

List of Enclosures or Annexure

Candidates Name Post Discipline

S No		Particulars of Annexure (proof)	Enclosure Page No
1.		Bank Draft	
2.		Date of Birth	
3.		Caste Category Certificate (Also mention category if belonging to SC/ST/OBC of M.P. State)	
4.		Bonafide Residence of M.P. Certificate	
5.		Academic Qualification	
	A	High School/Secondary mark sheet/grade sheet	
	B	High School/Secondary Certificate	
	C	Higher Secondary/Sr.Hr. Secondary/ Intermediate/PUC mark sheet/grade sheet	
	D	Higher Secondary/Sr.Hr. Secondary/ Intermediate/PUC certificate	
	E	Graduation mark sheet/grade sheet	
	F	Graduation degree	
	G	Post Graduation mark sheet/grade sheet	
	H	Post Graduation degree	
	I	Ph.D. mark sheet/grade sheet	
	J	Ph.D. degree	
	K	Other degree/Diploma/certificate	
	L	NET/SET certificate	
	M	NCC/NSS C certificate	
	N	Study fellowships (Jr./Sr./Post Doctoral/others)	
6.		Awards	
7.		Honours/ Recognitions	
8.		Professional Bodies fellowships	
9.		Trainings attended/participated	
10.		Winter/ Summer school attended/participated	
11.		Seminar/Symposia attended/participated	
12.		Trainings organized	
13.		Winter/ Summer school organized	
14.		Seminar/Symposia organized	
15.	A	Publications in NAAS rated Journals	
	B	Other Publication	
16.		Service experience	
17.		Co-Curricular and Extra- Curricular Activities	
18.		Copy of order of sanction of externally funded projects	
19.		Others	

Note: Photo Copies of both front and reverse sides of document should be given, wherever required

SIGNATURE OF CANDIDATE